"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242] रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 जुलाई 2019 — आषाढ़ 10, शक 1941

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 जून 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 01–23/31/स्था./2014. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जल संसाधन (चतुर्थ श्रेणी) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** :– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ जल संसाधन (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2018 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** :– ये नियम, इन नियमों से यथा संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं** :– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है अनुसूची के कॉलम (13) में यथा उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी,

(ख) ''शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ग) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(घ) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ड.) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न अनुसूची;

(च) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(छ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ज) ''सेवा'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ जल संसाधन (चतुर्थ श्रेणी) सेवा;

(झ) ''राज्य'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

4. **वर्गीकरण तथा वेतनमान, इत्यादि** :— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, पदों में भर्ती का तरीका, आयु सीमा, में अर्हतायें एवं पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें, इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे :

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में समय—समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी अधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

5. **भर्ती का तरीका** :— इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा या मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा।

6. **आरक्षण** :— (1) सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा।

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा।

7. **शिथिलीकरण** :— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति, को जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है;

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

8. **व्यावृति** :— इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, निःशक्त व्यक्तियों तथा अन्य श्रेणियों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिये उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय—समय पर, बनाये गये नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी।

9. **निरसन** :— इन नियमों के तत्स्थानी तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
याकुब खेस्स, संयुक्त सचिव.

अनुसूची
(नियम 2 एवं 3 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	सीधी भर्ती या पदोन्नति के माध्यम से या स्थानांतरण के माध्यम सहित विभिन्न तरीकों के द्वारा भर्ती का प्रतिशत	केवल सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा (न्यूनतम एवं अधिकतम)	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा या परीक्षण की कालावधि यदि कोई हो	पदोन्नति के मामले में अर्हकारी सेवा की कालावधि	पद, जिससे पदोन्नति की जानी है	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये चयन समिति	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	जमादार	01	चतुर्थ श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल–2	100 % पदोन्नति के माध्यम से	–	–	02 वर्ष	–	भृत्य / प्रोसेस सर्वर	नीचे टीप–1 देखिये	प्रमुख अभियंता / मुख्य अभियंता
2.	दफ्तरी	75	–तदैव–	वेतन मैट्रिक्स लेवल–2	100 % पदोन्नति के माध्यम से	–	–	–तदैव–	–	भृत्य / प्रोसेस सर्वर	–तदैव–	–तदैव–
3.	प्रयोगशाला परिचालक / प्रयोगशाला अनुचर	09	–तदैव–	वेतन मैट्रिक्स लेवल–1	100 % सीधी भर्ती के माध्यम से	18–30 वर्ष, छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हेतु आयु–सीमा 35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से गणित एवं विज्ञान विषय के साथ 10 वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये	02 वर्ष	–	–	–तदैव–	–तदैव–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	भृत्य	619	–तदैव–	वेतन मैट्रिक्स लेवल–1	100 % सीधी भर्ती के माध्यम से	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त संस्था/मंडल से 5वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये	2 वर्ष	5 वर्ष	–	–तदैव–	–तदैव–
5.	प्रोसेस सर्वर	22	–तदैव–	वेतन मैट्रिक्स लेवल–1	100 % सीधी भर्ती के माध्यम से	–तदैव–	–तदैव–	2 वर्ष	–	–	–तदैव–	–तदैव–
6.	चैनमेन	12	–तदैव–	वेतन मैट्रिक्स लेवल–1	100 % सीधी भर्ती के माध्यम से	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त संस्था/मंडल से 8वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये	2 वर्ष	–	–	–तदैव–	–तदैव–

टीप– 1. विभागीय चयन/पदोन्नति समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(एक) प्रमुख अभियंता के कार्यालय हेतु, प्रमुख अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट नाम (1) मुख्य अभियंता – अध्यक्ष, (2) एक अधीक्षण अभियंता – सदस्य, (3) दो कार्यपालन अभियंता – सदस्य, उक्त समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग से दो सदस्य सम्मिलित होंगे।

(दो) मुख्य अभियंता के कार्यालय हेतु, मुख्य अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट नाम (1) अधीक्षण अभियंता – अध्यक्ष, (2) एक कार्यपालन अभियंता – सदस्य, (3) दो सहायक अभियंता – सदस्य, अनुसूचित जाति, उक्त समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग से दो सदस्य सम्मिलित होंगे।

2. सीधी भर्ती के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी हैं के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

Atal Nagar, the 13th June 2019

NOTIFICATION

No. F 01-23/31/est./2014. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of Service of the Chhattisgarh Water Resources Department (Class-IV) Services, namely :-

RULES

1. **Short title and Commencement :—** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Water Resources Department (Class-IV) Service Recruitment Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule as appinded to these rules.

3. **Definitions :** — In these rules, unless the context otherwise requires, -

a. "Appointing Authority" in respect of the service means the Appoint Authority as mentioned in column (13) of the Schedule;

b. "Government" means the Government of Chhattisgarh;

c. "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

d. "Other Backward Class" means Other Backward Classes of citizens has specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December,1984, as amended from time to time;

e. "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

f. "Scheduled Castes" means the scheduled castes as specified in relation to this State under Articles 341 of the Constitution of India.

g. "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Articles – 342 of the Constitution of India.

h. "Service" means the Chhattisgarh Water Resources (Class-VI) Service;

i. " State" means the State of Chhattisgarh;

4. **Classification and Scale of pay, etc :—** The classification of the service, the number of posts included and the service and the scales of pay attached thereto the method of recruitment to the posts, age limit, qualifications and other conditios of service relating to the posts shall be as specified in the Schedule appinded to these rules :

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the Service, either on a permanent or temporary basis.

5. **Method of Recruitment** — Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(a) by direct recruitment, through competitive examination or selection on the basis of merit;

(b) by promotion of members of the service as specified in colunm (2) of Schedule.

6. **Reservation:--** (1) Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accoudance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and instructions issued from time under the said Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

(2) Reservation in promotion for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Services (Promotion) Rules, 2003.

(3) Reservation for women candidates shall be made in acordance with the provisions of the Chhhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

7. **Relaxation** — Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to him to be just and proper :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

8. **Saving** - Nothing in these Rules shall affect the reservation and other conditions required to be provided for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, for Ex-servicemen, Compassionate appointment to one member of the family of the Government employees who dies during service period, persons with disability and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with rules made or orders issued by the State Government, from to time in this regard.

9. **Repeal:**— All rules, corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh
YACUB XESS, Joint Secretary.

SCHEDULE
(See rule 2 and 3)

S. No.	Name of the post	Number of duty posts	Classification	Pay Matrix	Percentage of recruitment through various modes including direct recruitment or through promotion or through transfer	Only for direct recruitment age limit (minimun and maximum)	Prescribed educational qualification	Period of Probation or trial, if any	Qualifying period of services in case of promotions	Posts from which the promotion is to be made	Selection committee for direct recruitment and promotion	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jamadar	01	Class-IV	Pay Matrix Level-2	100% through promotions	---	---	02 years	---	Peon/ process Server	See Note-1 below	Engineer-in-Chife/Chife Engineer
2.	Daftari	75	--do--	Pay Matrix Level-2	100% through promotions	---	---	--do--	---	Peon/ process Server	--do--	--do--
3.	Laboratory Attendant/ Laboratory Anuchar	09	--do--	Pay Matrix Level-2	100% through Direct Recruitment	18-30 years, age-limit 35 years for domiciles of Chhattisgarh	Should have passed 10th Class examination with Mathematics and Science subject from any recognized Bord.	02 years	---	---	--do--	--do--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Peon	619	--do--	Pay Matrix Level-1	100% through Direct Recruitment	--do--	Should have passed 5th Class examination from any recognized Institution Bord.	2 years	5 years	---	--do--	--do--
5	Process Server	22	--do--	Pay Matrix Level-1	100% through Direct Recruitment	--do--	--do--	2 years	5 years	---	--do--	--do--
6	Chain Man	12	--do--	Pay Matrix Level-1	100% through Direct Recruitment	--do--	Should have passed 8th Class examination from any recognized Institution Bord.	2 years	---	---	--do--	--do--

Note- 1. Department Selection/Promotion Committee shall consist of the following members:-

(I) For the office of Engineer-in-Chief, names to be nominated by Engineer-in-Chief- (1) Chief Engineer-Chairman, (2) One Superintendent Engineer-Member, (3) Two Executive Engineer- Member, the said committee shall consist of two member from Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(II) For the office of the Chief Engineer, names to be nominated by Chief Engineer (1) Superintendent Engineer- Chairman, (2) One Executive Engineer- Member, (3) Two Assistant Engineer-Member, the said committee shall consist of two member from Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

2. In case of direct recruitment, the upper age limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh as per the instrucions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.